प्रेस विज्ञप्ति
01.04.2025

ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह और अन्य की 286.98 करोड़ रुपये की भूमि के रूप में अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके अतिरिक्त, विदुर भारद्वाज नामक एक अन्य प्रमोटर से जुड़े जी4एस सिक्योर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में 108.04 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर भी कुर्क किए गए। ईडी ने मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत जारी किए गए अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से कुल 395.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी ने सैकड़ों घर खरीदारों को ठगने के आरोप में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी से संबंधित एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। कंपनी गुरुग्राम, हरियाणा के सेक्टर 89 में ग्रीनोपोलिस नामक एक आवासीय परियोजना विकसित कर रही थी और घर खरीदारों से 873.83 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। हालांकि, नौ साल बाद भी यह परियोजना अधूरी रही और निवेशकों को फ्लैट नहीं दिए गए।

ईडी ने 25.11.2024 को थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों के आवासों और अन्य स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसमें स्पष्ट रूप से अपराध-संकेती दस्तावेज एकत्र हुए थे। ईडी ने जांच के दौरान पाया था कि थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों ने अपने प्रमोटरों के माध्यम से ग्रीनोपोलिस परियोजना में फ्लैटों की बुकिंग के संबंध में निर्दोष फ्लैट खरीदारों से 873.83 करोड़ रुपये की धनराशि हासिल की है। परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया और धन को अन्य संबंधित पक्षों को दे दिया गया। वर्तमान में, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड दिवालियापन की कार्यवाही में है, जिससे घर खरीदार वित्तीय संकट में हैं। ईडी ने पाया है कि थ्री सी प्रमोटरों द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग निर्माण और विकास उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और अब तक की जांच के अनुसार फ्लैट खरीदारों को धोखा देने के लिए "निवेश" की आड़ में 300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि इसके संबंधित पक्षों, समूह की कंपनियों और कागजी शेल कंपनियों को दी गई थी।

इसके अलावा, यह पता चला कि थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने रिश्तेदारों, विक्रेताओं और संबंधित संस्थाओं को कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर प्रोजेक्ट इन्वेंट्री बेची थी, जिससे 90 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह अपराध के आगमों (पीओसी) को छिपाने और घर खरीदने वालों को धोखा देने के लिए किया गया था।

आगे की जांच जारी है।